Subject: दिनांक 19.09.2017 को की गई शिकायत के मामले में अधूरी व गैर-जिम्मेदारी भरी कार्यवाही किये जाने बाबत्

From: sonikashiv@yahoo.com
To: djldh-chd@nic.in
Date: Wednesday, September 20, 2017, 5:15:44 PM GMT+5:30

सेवा में,

माननीय सेशन जज

लुधियाना

विषयः <u>दिनांक 19.09.2017 को की गई शिकायत के मामले में अधूरी व गैर-जिम्मेदारी भरी कार्यवाही किये जाने बाबत्</u>

महोदय,

दिनांक 19.09.2017 को Letter No. 13074 (साथ में संलग्न है) से संबंधित मामले में डॉ. सुशील बोध की अदालत में अभद्रता व अव्यवहारिक व्यवहार करते हुये मेडिकल जाँच का आदेश नहीं दिया जा रहा था उस मामले में शिकायत की थी जिसकी शिकायत किये जाने के बाद आज दिनांक को ऑफिस में कहा गया कि, Letter No. 13074 पर तो कोई आदेश पास नहीं किया गया है आज हम नये आवेदन के साथ ऑर्डर पास करा देते हैं|

यह एक मैडिकल से संबंधित मामला है जिसमें पुलिस द्वारा की गई मारपीट व अदालत में पेश करने से पहले मैडिकल ना करवा कर बाद में मैडिकल करवाया गया जहाँ पीडितों को डरा-धमकाकर कुछ भी बोलने से रोका गया जिसकी वजह से जेल भेजते समय उनके ऊपर किया अत्याचार रिकॉर्ड पर नहीं आ पाया, ऐसा लग रहा है कि पीड़ित को फ्रैक्चर का खतरा है जिसका मैडिकल करवाना जरूरी है साथ ही इलाज भी करवाना जरूरी है|

यह कार्य आवेदन के साथ ही तुरंत करवाना जरूरी था क्योंकि हम, आप व ना ही मजिस्ट्रेट जंगल में जी रहे हैं, हम मानव हैं व इंसान हैं और इंसानियत हममें होना जरूरी है|

अतः मैंडिकल जाँच का ऑर्डर तुरंत दिया जाना जरूरी था जो पिछले 10-12 दिन से नहीं दिया जा रहा है और अब दिया गया तो वह भी 26.09.2017 के बाद यानि शिकायत के 18 दिन के बाद, इतने दिन में कोई भी बिमारी लाईलाज भी हो सकती हैं| यदि यह किसी गरीब की अपेक्षा वी.वी.आई.पी. के साथ होता तो वह जमीन-आसमान एक कर देता साथ ही आदेश की कॉपी भी पीड़ित की पत्नी को नहीं दी गई जो यह दिखाता है कि इंसानियत तो इस ज्यूडीशियरी में पैसों के भूखे-भेड़ियों के बीच में तो रही ही नहीं है| शायद यह लोग मुर्दों का कफन लूट लेना भी अपना धर्म समझते हैं|

आशा है मामले की गंभीरता को समझेंगे और नजदीक की तारीख दी जायेगी जिससे मैडिकल जाँच जल्द से जल्द करवाया जा सके और पीड़ित के परिवार को ऑर्डर की कॉपी भी तुरंत दिलवाई जायेगी|

सोनिका क्रांतिवीर

मोब. 9920913897

भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान